प्रेषक,

दीनानाथ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2018

विषय- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत आई0टी0 सेल में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों/डाटा-इन्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1136/अ0सं0क0नि0/एम0एस0डी0पी0/आई0टी0सेल पत्रा0-13नजारत/2018, दिनांक 06.06.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत आई0टी0 सेल में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों/डाटा-इन्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रू0 183.60 लाख से वित्तीय वर्ष 2016-17 में मानदेय/पारिश्रमिक पर व्यय उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 155.785 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-2017/1155/52-1-2017-28 (एम0एस0डी0पी0)/11, दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा आवंटित की गयी थी। उक्त धनराशि से गत् वर्ष कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय पर रू0 17.85 लाख का व्यय कर अवशेष धनराशि रू0 137.935 लाख गत् वर्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 510.00 लाख के सापेक्ष समर्पित की गयी।

2- योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समर्पित की गयी धनराशि रू0 137.935 लाख(रूपये एक करोड सैतीस लाख तिरान्नबे हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 210.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उक्त धनराशि का व्यय केवल योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक पर ही किया जायेगा।

2- कार्मिकों की संख्या व उनके कार्य के औचित्य का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी ।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0सेल की स्थापना(के0-100/रा0-00)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित प्रावधानों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

संख्या-1091(2)/52-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त-ई-11/वित्त-ई-4 अनुभाग/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in